"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 327] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2005 — पौष 1, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

अधिसूचना

फा. क्रमांक 9960/डी-2870/21-ब/छ. ग./05 .— न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (क्रमांक 7 सन् 1870) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7724/डी-2162/21-ब/छ. ग./05, दिनांक 29-09-05 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में, न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 की अनुसूची-एक एवं दो में विनिर्दिष्ट, राज्य सरकार द्वारा देय न्यायालय शुल्क से सक्षम छूट प्रदान करती है.

NOTIFICATION

F. No. 9960/D-2870/XXI-B/C. G./05 .— In exercise of the powers conferred by section 35 of the Court Fees Act, 1870 (No. 7 of 1870) and supersession of department's Notification No. 7724/D-2162/21-B/C. G./05, dated 29-09-05, the State Government hereby remits in whole of the State of Chhattisgarh, the Court Fees payable by the State Government specified in schedule-I and II of the Court Fees Act, 1870.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2006.